POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 25.04.2026

1.थाना नॉलेज पार्क पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 237 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये) तथा घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बरामद किया गया है।

कार्यवाही का विवरण-- थाना नॉलेज पार्क पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा **दिनांक 25.04.2026** को अभियुक्त लाखाराम पुत्र जोधाराम को 237 पेटी अवैध हरियाणा मार्का शराब सहित **गिरफ्तार** किया गया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। इस संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम एवं 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त द्वारा हरियाणा राज्य से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर अधिक दामों पर बेचने के उद्देश्य से परिवहन किया जाता था। पुलिस, आरटीओ एवं आबकारी विभाग की जांच से बचने के लिए वह फर्जी बिल्टी एवं स्पेयर पार्ट्स के बिल तैयार कर प्रयोग करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. लाखाराम पुत्र जोधाराम, निवासी कानासर गोलाई, थाना शिव, जिला बाड़मेर (राजस्थान), उम्र लगभग 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 81/2026 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम एवं 318(4) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 237 पेटी अवैध हरियाणा मार्का शराब तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक संख्या HR 38 W 6194, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये है।

2.थाना बिसरख पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान, अवैध शस्त्र एवं घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23.04.2026 को ग्रीन आर्च सोसाइटी के सामने एक खड़ी कार के अंदर रखी गले की चेन व हाथ का ब्रेसलेट चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 264/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा **दिनांक 25.04.2026** को अभियुक्तगण 1. रोहित चौहान उर्फ बोबी पुत्र खेम सिंह 2. सोनू ठाकुर पुत्र चन्द्र सिंह को चोरी के सामान (पीली धातु की चेन व ब्रेसलेट), एक अवैध चाकू (रोहित से बरामद) व एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस (सोनू ठाकुर से बरामद) तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ ड्रीम वैली सोसाइटी के सामने से **गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहित चौहान उर्फ बोबी पुत्र खेम सिंह निवासी कला एन्क्लेव, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष
2. सोनू ठाकुर पुत्र चन्द्र सिंह निवासी कला एन्क्लेव, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 264/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 266/2026 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक पीली धातु की चेन व एक पीली धातु का ब्रेसलेट (कीमत लगभग 5 लाख रुपये), संबंधित मु0अ0सं0 264/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
2. एक अवैध चाकू (अभियुक्त रोहित से बरामद)
3. एक अवैध तमंचा .315 बोर (अभियुक्त सोनू से बरामद)
4. घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, रंग काला, रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 14 जीएम 5002